तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
-18	

अधिवक्ता अपीलांट उप0। अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम ग्राम पंचायत कोहला द्वारा चक 16 एच.एम.एच. के इन्तकाल संख्या–196 दिनांक 21.01.2008 के विरूद्व प्रस्तुत की है जो रेस्पोडेंट संख्या 1 के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 21.01.2008 द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस इन्तकाल के जरिये प्रश्नगत 2.530 हैक्टेयर भूमि का स्व0 श्री साधुराम पुत्र रामसरण के देहान्त उपरान्त उसके समस्त वारिसों के नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज हुआ है।

अपीलांट ने इस अपील में उक्त विरास्तन इन्तकाल को इस आधार पर चुनौती दी है कि स्व0 श्री साधुराम निर्वसीयत फौत नहीं हुये थे बल्कि अपीलांट के पक्ष में स्व0 श्री साधुराम ने दिनांक 08.10.2002 को रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित की हुई थी जिसके अन्तर्गत चक 16 एच.एम.एच. के पत्थर नम्बर 135/277 (22) के किला नम्बर 16 से 20 कुल 5 बीघा भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट को वसीयती उतराधिकारी घोषित किया गया था। अपीलांट ने यह कथन किये है कि अपीलांट के नाना श्री साधूराम का दिनांक 28.11.2007 को देहान्त होने के बाद इस वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार (भू0अ0) हनुमानगढ़ के समक्ष दिनांक 10.12.2007 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था जो प्रकरण संख्या 45/2007 पर दर्ज हुआ व इस प्रकरण में दिनांक 21.12.2007 को आम सूचना प्रकाशित करने के आदेश भी हुये तथा दैनिक समाचार भास्कर पत्रिका में दिनांक 14.12.2007 को आम सूचना भी प्रकाशित हो गई व प्रकरण में आगामी पेशी 30.12.2007 तय हुई। इसी बीच राजस्व अभियान में यह पत्रावली पेश होने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर उसे पुनः पत्र क्रमांक 691–92 दिनांक 28.03.2008 प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलांट ने इस पत्र के सन्दर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 08.04.2008 को पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का से मालूम हुआ कि उसके द्वारा प्रश्नगत 10 बीघा भूमि का विरास्तन इन्तकाल उसकी तीनों पुत्रियों के पक्ष दर्ज कर ग्राम पंचायत कोहला से तस्दीक करवा लिया था। अपीलांट ने इस इन्तकाल आदेश को ज्ञान के दिवस से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत करते हुये चुनौती दी है। इस अपील में अपीलांट का मुख्य आधार यही है कि वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने की प्रक्रिया तहसीलदार (भू0अ0) हनुमानगढ़ के समक्ष प्रारम्भ होने के बाद पटवारी हल्का ने रेस्पोडेट संख्या 2 से 4 से मिलीभगत कर यह विरास्तन इन्तकाल एक ही दिन में न केवल दर्ज किया अपितु गिरदावर से मिलान करवाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 से तस्दीक करवा लिया। यह समस्त कार्यवाही षड़यन्त्रपूर्ण थी जो तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 45/2007 के दौरान एक पक्षीय व अपीलांट को सुने बिना की गई है। अपीलांट के पक्ष में स्व0 श्री साधुराम की रजिस्टर्ड वसीयत की

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मौजूदगी में रेस्पोडेंट प्रश्नगत भूमि में से पत्थर नम्बर 135/277 के किला नम्बर 16 से 20 कुल 5 बीघा भूमि के सम्बन्ध विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने के अधिकारी नहीं थे। अपीलांट द्वारा स्व0 श्री साधूराम द्वारा निष्पादित वसीयत को उनकी मृत्यु के एक माह के अन्दर ही नियमानुसार प्रकट कर दिया था। इस विधिक कार्यवाही को निष्फल करने के आशय से रेस्पोडेंट ने छिपे तौर यह इन्तकाल दर्ज व तस्दीक किया है। इस अपील में उक्त विरासतन इन्तकाल संख्या 196 चक 16 एच.एम.एच. को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट की तलबी की गई। रेस्पोडेंट द्वारा स्व0 श्री साधुराम द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 08.10.2002 को सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती दिये जाने के कारण इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15.02.2011 के अन्तर्गत दीवानी वाद शीर्षक "कमला कुमारी आदि बनाम जसवीर सिहं आदि" न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट्र ट्रेक, हनुमानगढ़ के अंतिम निर्णय तक इस अपील की कार्यवाही स्थगित की गई। इस आदेश के विरूद्व अपीलांट ने न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष अपील संख्या 186/2017 प्रस्तुत की जो दिनांक 14.06.2017 को निर्णित हुई व आदेश दिनांक 15.02.2011 यथावत रखा गया।

अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.02.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दीवानी वाद शीर्षक "कमला कुमारी आदि बनाम जसवीर सिहं आदि" में दिनांक 23.01.2018 को निर्णय हो चुका है तथा स्व0 श्री साधूराम द्वारा निष्पादित वसीयत को वैद्य व प्रभावशील मानी गई है। सिविल न्यायालय का निर्णय हो जाने से इस अपील की कार्यवाही को पुनः प्रारम्भ किये जाने का निवेदन किया। इस प्रार्थना–पत्र पर दिनांक 19.02.2018 को यह पत्रावली पेशी में ली गई तथा इस अपील में पुनः सुनवाई हेतु रेस्पोडेंट को रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया गया। रेस्पोडेंट बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि चक 16 एच.एम.एच. पत्थर नम्बर 135/277 (22) के किला नम्बर 13/0.127, 14 से 25 कुल 3.163 हैक्टेयर भूमि साधुराम पुत्र श्री रामसरण के नाम खातेदारी दर्ज है। इस भूमि में से श्री साधुराम ने रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 08.10.2002 के अन्तर्गत पत्थर नम्बर 135/277 (22) के किला नम्बर 16 से 20 कुल 5 बीघा का वसीयती उतराधिकारी अपीलांट को घोषित किया है व शेष चल व अचल सम्पति में अपने दोहिता जसवीर सिहं व अपनी पुत्रियों को बहिस्सा बराबर का वसीयती उतराधिकारी घोषित किया है। इस वसीयत को चुनौती देते हुये रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत दीवानी वाद संख्या 58/2012 शीर्षक "कमला कुमारी आदि बनाम जसवीर सिहं आदि" में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 द्वारा

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

दिनांक 23.01.2018 को निर्णय पारित किया है तथा इस निर्णय में विवाधक संख्या 1 के निष्कर्ष में वसीयत दिनांक 08.10.2002 को सिद्ध माना गया है तथा यह विवाधक रेस्पोडेंट के विरूद्व निर्णित हुआ है। चूंकि वसीयत दिनांक 08.10.2002 के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय की अवधारणा आ चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस वसीयत के आधार पर अपने पक्ष में नामान्तरण दर्ज करवाये जाने का अधिकारी पाया जाता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा तस्दीक किया गया इन्तकाल संख्या 196 तहसीलदार (भू0अ0) हनुमानगढ़ के समक्ष वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज किये जाने हेतु विचाराधीन प्रकरण संख्या 45/2007 की लम्बित अवस्था में प्रभाव में आया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चक 16 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ का इन्तकाल संख्या 196 दिनांक 21.01.2008 को निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिये जाते है कि इन्तकाल संख्या–196 दिनांक 21.01.2008 को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल कर स्व0 श्री साधुराम द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 08.10.2002 के आधार पर प्रकरण संख्या 45/2007 में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति सहित तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को पत्र जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 2.5.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner